

छत्तीसगढ़ शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक २०५५/2016/सी.एस.

नया रायपुर, दिनांक 18/11/2016

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय :- 500 एवं 1000 रुपये के पुराने नोट वैध मुद्रा न रह जाने के फलस्वरूप उपयुक्त व्यवस्था बाबत।

—00—

भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार 500 रुपये एवं 1000 रुपये के पुराने बैंक नोट अब वैध मुद्रा नहीं रह गये हैं। ऐसे नोटों को बैंक में जमा करने या बदलने का प्रावधान किया गया है।

2/ भारत शासन वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3429 (अ), दिनांक 10 नवम्बर 2016 में किये गये संशोधन के आधार पर जिन सव्यवहारों में नियत तिथि 24 नवम्बर 2016 तक वैध मुद्रा मान्य की गई है, उसमें राज्य सरकार को देय कोई फीस, प्रभार, कर या शास्ति के विरुद्ध देय भुगतान भी शामिल है। राज्य शासन को देय संदाय के रूप में बकाया राजस्व वसूली तथा बैंक आर.आर.सी. वसूली की कार्यवाही की जा सकती है। इससे आम जनता को जहां पुराने अप्रचलित नोट को जमा करने में सुविधा होगी, वहीं बकाया राजस्व वसूली में भी तेजी लाई जा सकती है।

3/ अतः यह निर्देशित किया जाता है, कि दिनांक 24 नवम्बर 2016 तक 500 रुपये एवं 1000 रुपये के पुराने नोटों से बकाया राजस्व वसूली तथा आर0आर0सी0 वसूली का कार्य किया जावे। इस हेतु वसूली राशि को सीधे बैंक में चालान से जमा कराई जावे। पुराने नोट को दिनांक 24 नवम्बर 2016 तक बैंक में जमा कराने की व्यवस्था करें।



(विवेक ढोंड)

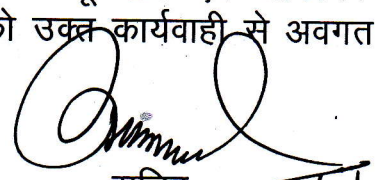
मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

क्रमांक १०५६/२०१६/सी.एस.
प्रतिलिपि -

नया रायपुर, दिनांक १८/११/२०१६

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया सभी बैंक अधिकारियों को उक्त कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।


सचिव, १८/११/२०१६
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग